Home

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुजीलाल बनाम बलवन्त

तारीख हुक्म	841/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
02/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/02/2026 को पेश हो।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
09/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम जयचन्दपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित साबिक खसरा नंबर 10 रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा के खातेदार मोती पुत्र गोपी जाति बागडा ब्राह्मण साकिन देह थे। खातेदार मोती पुत्र गोपी ने जरिये पंजिकृत विकय पत्र कल्याण पुत्र प्रताप हिस्सा 1/2 एवं ग्यारसीलाल बदरीनारायण, रामेश्वर श्रवण पुत्रांन लादू हिस्सा 1/2 को विक्रय किया। कल्याण पुत्र प्रताप ने अपने हिस्सा 1/2 का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.7.1983 को श्री पवन कुमार जैन को विक्रय किया। उक्त केता पवन कुमार जैन से वादीगण ने दिनांक 03.08.1985 को वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि हिस्सा 1/2 क्रय किया। क्रय करने के दिनांक से वादीगण हिस्सा 1/2 पर क़ाबिज होकर निरंतर काश्त कर लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। दौराने भू-प्रबंध उक्त भूमि खसरा नंबर 10 रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा के नये खसरा नंबर 53 रकबा 3.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 54 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 55 रकबा 1.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 56 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 59 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 60 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 65 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 7.48 हैक्टेयर बनाये गये जो कि साबिक नये से 0.45 हैक्टेयर कम रकबा कायम किया गया। चूंकि साबिक रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा का हैक्टेयर स्केल में रकबा 7.9198 हैक्टेयर बनता है। हाल खसरा नंबर 57 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 62/178 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.45 हैक्यर भूमि विवादग्रस्त है जो कि वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 10 रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा का भाग है। उक्त भूमि दौराने भू-प्रबंध वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या प व ऽकी खातेदारी से डिलीट की जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के पिता रामकिशन पुत्र महादेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी मथुरावाला तहसील सांगानेर की खातदारी में अंकित कर दी गई। भू-प्रबंध विभाग का उक्त कार्य अपने निहित क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किया है जिसका कानूनन कोई महत्व नही है।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

सुजीलाल बनाम बलवन्त

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
में ज

बंदोबस्त के दौरान किये गये उपरोक्त मद में वर्णित इन्द्राजात पूर्णतः अवैध एवं प्रभावशुन्य है जिन्हे अवैध व प्रभावशुन्य घोषित किया जाकर राजस्व भू-अभिलेखो के इन्द्रजात को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के हक में कायम किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि के बाबत दौराने भू-प्रबंध प्रतिवादी संख्या 3 के पिता रामकिशन पुत्र महौदेव के नाम हुये अवैध इन्द्राजात के आधार पर रामकिशन की विरासत प्रतिवादी संख्या 3 व उसके भाई क्रमश: औमप्रकाश, गिरधर गोपाल, चन्द्रमोहन पुत्रांन रामकिशन के नाम स्वीकृत हुई। उक्त अवैध इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त आराजियात का आपसी सहमति से विभाजन करवाकर खसरा नंबर 57, 62/178 61, 58 प्रतिवादी संख्या 3 के भाई गिरधर गोपाल चन्द्रमोहन, ओमप्रकाश के हिस्से में दर्ज हुई तत्पश्चात खसरा नबंर 61, 58 का नुमायशी विकय बिना हक अधिकार के देवव्रतसिंह पुत्र रामसिंह को किया गया। देवव्रत सिह ने उक्त दोनो खसरा नंबरान का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किया ।इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि में आराजी खसरा नंबर 58, 61 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हैं तथा खसरा नबंर 57 व 62/172 की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज होने से बतौर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पक्षकार बनाया गया। वादीगण का वाद मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध है। साबिक खसरा नंबर 10 रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा के हिस्सा 1/2 के खातेदार ग्यारसीलाल, बद्रीनारायण, रामेश्वर, श्रवणलाल पिता लादूराम में से बद्रीनारायण तथा रामेश्वर ना नाऔलाद फौत हो गया तथा रामेश्वर की पत्नि छोटा देवी भी फौत हो गयी। इस प्रकार बद्रीनारायण एवं रामेश्वर के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनयम 1956 के प्रावधानो के अनुसार उत्तराधिकारी ग्यारसीलाल व श्रवणलाल है। जिन्हे प्रतिवादी संख्या 04 व 05 बनाया है, प्रोफार्मा पक्षकार है जिनके विरूद्ध वादपत्र में कोई अनुतोष अपेक्षित नही है। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 तथा स्वर्गीय छोटा पत्नि रामेश्वर, बद्रीनारायण पुत्र लादूराम को वाद विभाजन प्राप्त खसरा नंबरान का विक्रय अलग-अलग व्यक्तियां को कर दिया है। वादीगण आराजी खसरा नबंर 53, 54, 55/1, 56/1, 65/2 कुल किता 5 कुल रकबा 3.74 है० एवं खसरा नम्बर 57 रकबा 0.05 हैक्टेयर, रकबा 58 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 61 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 62/178 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 0.45 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/2 वादीगण काबिज काश्त है शेष हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी संख्या 04 व 05 काबिज काश्त है | वादपत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की जावे कि वाके ग्राम जयचन्दपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

57 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 62/178 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.45 हैक्टेयर भूमि साबिक खसरा नंबर 10 रकबा 31 बीघा 6 बिस्वा का भाग है उक्त खसरा नम्बर 57 रकबा 0. 05 हैक्टेयर, रकबा 58 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 61 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 62/178 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 0.45 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/2 का वादीगण खातेदार है व शेष 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 04 व 05 खातदार है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 व् 5 की और से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर निर्णय व डिक्री दिनांक 31/08/2023 पारित करते हुये वादी का वादपत्र पोषणीय नही होने के कारण ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड व् स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में कुल 9 तनकीयात कायम की गयी है परन्तु तनकीयात का साक्ष्य-सबूत के आधार पर कोई भी विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद को ख़ारिज करने में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित किया जाना स्पष्ट होता है, जबकी व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के अनुसरण में कायम की गयी प्रत्येक तनकी का पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूत के आधार पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद का निस्तारण किया जाना आवश्यक था परन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित की गयी है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31/08/2023 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूतों

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुजीलाल बनाम बलवन्त हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर